सं. 38/77-ए/09- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (खंड पत्रा.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 5 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के संबंध में।**

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा छठें केंदीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन मे संशोधन के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए गए थे। इस विभाग के दिनांक 3.10.2008 के पत्र द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के अनुच्छेद 4.2 के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया था।

2. चार याचिकाओं, (ओ.ए. सं. 655/2010, 306/2010, 507/2010 और 3079/2009) के मामले में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 1.11.2011 के अपने आम आदेश में निर्देश दिए कि पूर्व पेंशनभोगियों को दिनांक 1.1.2006 से सेवारत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन से संबंधित फिटमेन्ट टेबल के सुसंगत न्यूनतम पेंशन मंजूर की जाए।

3. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 655/2010 के मामले में प्रदत्त समान लाभों के विस्तार से संबंधित अभ्यावेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं।

4. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि चार आवेदनों के संबंध में माननीय कैट द्वारा पारित दिनांक 1.11.2011 के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में चार रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं को दिनांक 29.4.2013 को खारिज कर दिया गया था। तदुपरांत, माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ विभिन्न समयावधियों में माननीय उच्चतम न्यायालय में चार विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) दाखिल की गई थीं। चार एसएलपी में से केंद्र सरकार पेंशनभोगी संघ की एक एसएलपी, एसएजी (एस-29), जो उपर्युक्त एसएलपी की श्रृंखला में सबसे पहले दाखिल की गई थी, को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.7.2013 को खारिज कर दिया गया है। चूंकि दिनांक 29.7.2013 के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण/उपचारात्मक याचिका भी विफल हो

गई है। अत: भारत सरकार ने एसएलपी में शामिल पक्षकारों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने के आदेश का पालन करने का फैसला किया है। अन्य तीन एसएलपी (सं. 36148-50/2013) के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.11.2013 के आदेश में नोटिस जारी किया और कहा है कि:

"प्रतिवादियों के विद्वान वकील का निवेदन है कि इन याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि के दौरान प्रतिवादी, रिट याचिकाकर्ता, उच्च न्यायालय या अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह कथन दर्ज/स्वीकार कर लिया गया है।"

5. इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय में दाखिल एसएलपी सं. 36148-50/2013 और इसी तरह के एक मामले में रक्षा मंत्रालय की ओर से दायर सिविल अपील सं. 8875-76/2011 में शामिल 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की दिनांक 1.1.2006 से पेंशन में संशोधन का मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन है।

6. सूचनार्थ।

7. उपर्युक्त पैरा (4) में उल्लिखित विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के परिणामों के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित कर दिया जाएगा।

(एस.के. मक्कड़)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।